

UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement. No. D-1/E-1/2023 Date: 02-02-2023

LAST DATE FOR THE PAYMENT OF ONLINE APPLICATION FEE IN THE BANK: 02.03.2023 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATIONS: 06.03.2023

IMPORTANT - (1) "Incomplete Online Application-Form shall be rejected and no communication in this regard shall be entertained."

(2) "If at any stage, it comes to the knowledge of the commission that the candidate has concealed or misrepresented any information, his candidature shall be rejected and proceeding to debar him from future examinations and selections shall be initiated."

(3) "The candidates are directed to ensure at the time of online application the preservation of information regarding all the stages (i.e. Registration, Fee payment, Final submission etc.) in Soft/Hard copy for future references."

SPECIAL NOTICE:- (a) "Applications will be accepted only when fee is deposited in the Bank upto prescribed last date for fee payment. If the fee is deposited in bank after the last date prescribed for fee payment, the on-line application of the candidate will not be accepted and the fee deposited in the bank will not be refunded in any condition. It will be responsibility of the candidates to pay fee in the bank upto last date prescribed for fee payment and 'submit' the application upto last date prescribed for submission of applications. It is also informed that less or more amount deposited in the form of application /examination fee shall not be refunded in any condition." (b) In Online Application System, the candidates have to provide their registered Mobile No. and e-mail ID in prescribed column failing which their Basic Registration shall not be completed. All relevant information/ instructions shall be sent through sms on that mobile number and e-mail through their registered e-mail ID. This is also directed to the candidates to check the Commission's website continuously for further updates.

NECESSARY INFORMATION TO APPLICANTS FILLING THEIR APPLICATIONS THROUGH ON-LINE

This advertisement is also available on the Commission's website https://uppsc.up.nic.in. The On-line application system is applicable for applying against this advertisement. Applications sent by any other mode shall not be entertained hence candidates are advised to apply On-line only. In connection with On-line application, candidates are advised to go through the instructions thoroughly given as under and apply accordingly:-

1. When the candidate clicks "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" on the Commission's website https://uppsc.up.nic.in the On-line advertisements shall be automatically displayed, wherein there shall be 3 parts given as below:

- (i) User instructions
- (ii) View Advertisement

(iii) Apply

The Instructions for filling "On-line form" have been given in User Instruction. The Candidates desirous to see the respective advertisement will have to click on 'View Advertisement'. Thereafter, a full advertisement will be displayed alongwith sample snapshots of On-line Application procedure. Click on "Apply" for On-Line Application.

On-line application will be completed in three stages:

First Stage: - On clicking "Apply" Candidate Registration will be displayed. Basic Registration form will be displayed on clicking the 'Candidate Registration' in respect to the Direct Recruitment. After filling the Basic Registration form, the candidates must check all the informations filled by them. If any correction/modification is required, click on 'Edit' button option and ensure the required corrections/ modifications. After being fully satisfied with all the informations filled, click on 'Submit Application' consequently, the registration of first stage shall be over. Thereafter 'Print Registration Slip' shall be displayed and Print of Registration Slip must be taken by Clicking on Print Registration Slip.

Second Stage:- After the completion of the procedure of first stage, 'Fee to be deposited [in INR]' shall be displayed with caption "Click here to proceed for payment". After clicking the above caption of "Click here to proceed for payment", home page of State Bank MOPS (Multi Option Payment System) shall be displayed comprising of 03 modes of payment viz.

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS and (iii) OTHER PAYMENT MODES.

After payment of the required fee by any one of the above prescribed modes, "Payment Acknowledgement Receipt (PAR)" shall be displayed alongwith detail of fee payment, the print of which must be taken by clicking on "Print Payment Receipt".

Third stage: - On completion of the procedure of second stage click on "Proceed for final submission of application form" as a result of which 'format' shall be displayed. The

candidates are required to enter all the required informations in the format. The photo and signature duly scanned shall be uploaded also. The candidate should scan his/her photograph and signature in the prescribed size (the size will be mentioned at the specified spot in the On-line application). This should also be kept in notice that the photo must be latest passport size. In case the photo and signature, scanned in the prescribed size, are not uploaded, then the On-line system will not accept it. The procedure related for scanning of the photo and signature is laid down in the Appendix-1. After filling in all entries in the format, the candidates may click "PREVIEW" to see for themselves that all entries and informations are correctly entered and after satisfying themselves should click "Submit" button to forward the same to the Commission. It is essential that the candidate should fill all informations On-line correctly according to the instructions given and click the 'Submit' button by the last date prescribed for submission of the application form. If the candidate does not click the "Submit" button, the On-Line application process shall not be completed finally and the candidate shall be accountable for this. After clicking the 'Submit' button, the candidate may take a print of the application to preserve it with them. In the event of any discrepancies, the candidate will be required to submit the said print in the office of the Commission, otherwise his/her request shall not be entertained.

2. Application Fee: In the ON-LINE Application process after completing the procedure of first stage, category wise prescribed fee is to be deposited as per instructions provided in second stage. The prescribed fee for different categories is as under:-

- Unreserved/ Economically Weaker Sections/ other Backward Classes
 - Application fee Rs. 80/- + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 105/-
- Scheduled Tribes
- (ii) Scheduled Castes/ Application fee Rs. 40/- + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 65/-
- (iii) Handicapped
- Application fee NIL/- + On-line processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 25/-- Application fee Rs. 40/- + On-line
- (iv) Ex-Servicemen
- processing fee Rs. 25/- Total = Rs. 65/-
- Freedom Fighters/ category Women
- (v) Dependents of the According to their original

3. If the claims of the candidates made in their applications are not found true, they can be debarred from all the future examinations and selections made by the Commission including other appropriate penalties.

4. Modify Submitted Application: If a candidate comes to know about any error/errors in the submitted application form except in the name of exam and type of recruitment. Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number and such cases where prescribed fee for modified category is higher (in case of error in these entries, candidate may submit new online application with prescribed fee only as previously deposited fee will neither be adjusted nor refunded) he/she will be given only one opportunity to modify it/them according to the following procedure before the last date of the submission of application form. "Candidate has to click on 'Modify Submitted Application' under Online application process' in Candidate Segment. After that ' Candidate Personal Details' will be displayed on the screen to fill in Registration No., Date of Birth, Gender, Domicile and Category. After filling the Verification code the candidate has to click on the 'proceed' button following which for Authentication of the candidate OTP (One Time Password) will be sent on the registered mobile no. of the candidate and the Option-Box will be displayed on the screen to fill in the OTP. After the candidate has filled in the OTP and clicks on the 'proceed' button his/her previously submitted on line application from will be displayed on the screen. The candidate can submit his/her on line application form after making required modifications in it. This facility will be available to the candidates only one time within the last date of submission of application form."

Note: After scrutiny of online application if it is found by the commission that the candidate has submitted more than one application form, in such a case, only last submitted application form of the candidate will be accepted and the remaining application forms will automatically stand cancelled as application modification option has already been provided in <u>foregoing para, therefore, in this regard no claim of the</u> candidate will be accepted.

Prohibition (Excise) Department, U.P.

02 Posts (Unreserved) of Regional Prohibition and

Social Uplift Officer, Group-'B', Nature of Post:-Gazetted, Reservation:- According to the existing Govt. Orders, Department No.- S-4/1, Pay Scale:- Level-7, Pay-Matrics-44,900-142400 (Pay Band-9300-34800, Grade Pay-4600), Academic Qualification:- (A) Essential Qualification- A candidate must possess a Bachelors degree with Economics and Sociology of a recognised University and must also possess a good knowledge of Hindi in Devnagri script: Provided that preference will be given to candidates who possess one or more of the following qualification: (i) Master's or Higher Degree in Economics or Sociology or Social Welfare; (ii) A recognised Degree or Diploma in Social Service, Applied Sociology, Social Science, Social Technique, Social Work or Social Service Administration; (iii) A degree in Law; (iv) Practical experience of prohibition and Social Uplift. (B) Preferential Qualification: A candidate who has: (1) served in the territorial army for a minimum period of two years, or (2) obtained a "B" certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment. Note- Candidates will have to annex self attested copies of all session's mark sheets essentially along with self attested copies of all other required certificates, at the time of demand of records. Age Limit:-21 to 40 years

Department of Excise, U.P.

02 Posts (Unreserved) of Technical Officer, U.P. Excise Technical Service, Group-B, Nature of Post:- Gazetted, Reservation:- According to the existing Govt. Orders, Department No.- S-5/01, Pay Scale: -56,100-1,77,500, Pay-Matrics level-10.

Academic Qualification:- (A) Essential Qualification-A candidate for Direct Recruitment to the post of Technical Officer in the service must possess the following qualifications:- (1) A Bachelor's degree in Chemical Engineering or Bio-chemical Engineering or Biotechnology from a University or an institution established by law in India with qualified Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) in concerned branch/discipline; or (2) Masters Degree in Chemistry or Bio-chemistry or Microbiology from a University or an institution established by law in India with qualified Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) in concerned subject/discipline. (B) Preferential Qualification- A candidates who has: (1) served in the territorial army for a minimum period of two years. or (2) obtained "B" certificate of National cadet corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment. Note-(1) The recruitment for the post of Technical Officer shall be done by commission through Marks given on the basis of the score obtained in the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) in concerned Branch/Subject as mentioned in Academic Qualification and total marks in interview decided by commission. (2) Candidates will have to annex self attested copies of all session's marksheets essentially along with self attested copies of all other required certificates, at the time of demand of records. Age Limit: - 21 to 40 years.

Uttar Pradesh Geology and Mining Department

01 Post (Unreserved) of Assistant Drilling Engineer, Group-B, Nature of Post:- Gazetted, Reservation:-According to the existing Govt. Orders, Department No.-S-6/1, Pay Scale:- Pay-Matrics level-10 (56,100-1,77,500), Academic Qualification:- (A) Essential Qualification- Degree in Mining or Mechanical Engineering from a University established by law in India with at least two years practical experience in diamond drilling in various rock formations. (B) Preferential Qualification- A candidate other things being equal, be given preference in the matter of recruitment, if he- (1) has served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or (2) has obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps. Note-Candidates will have to annex self attested copies of all session's mark sheets essentially along with self attested copies of all other required certificates, at the time of demand of records. Age Limit: - 21 to 40 years.

Uttar Pradesh AYUSH (Ayurvedic) Department

04 Posts (Unreserved) of Principals - Government Ayurvedic Medical Colleges of the State, AYUSH Department (Ayurvedic), Nature of Post:- Gazetted, Reservation: - According to the existing Govt. Orders, Department No.- S-09/01, Pay Scale:- Pay-Matrics Level-13 (Rs. 123100-215900), Academic Qualification:-(A) Essential Qualification- (1) Five years Degree in Ayurveda from a University established by law, or Five years degree from the Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh, or from any other State Board or Faculty which is registrable under the United Provinces Indian Medicine Act, 1939. (2) Twelve years Teaching experience (Ten years only in case of a Post-Graduate) including at least five years administrative experience as Professor or as Head of the Department. (3) Working knowledge of Hindi, English and Sanskrit. (B) Preferential- (1) Post Graduate qualification from a recognized Institution.

(2) Research work and publication of Original Papers and books. (C) Other Preferential Qualification- (1) Served in the territorial Army for a minimum period of two years; or (2) Obtained a "B" certificate of National Cadet Corps; shall other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment. Note- (1) Candidates will have to mention their obtained marks and total marks of all semesters in online application and annex all semesters marksheet (in which maximum marks/minimum marks/ obtained marks should be clearly mentioned) essentially alongwith other all certificates, at the time of demand of records. (2) Candidates must necessarily attach a copy of the certificate/marksheet relating to the confirmation of working knowledge of Hindi, English and Sanskrit in essential Qualification No.-3. (3) Experience certificate should be of full time paid post in an institution recognized by Government and issued by appointing authority and it should be countersigned by Registrar/Director of State Ayurvedic Medical Council or by a competent authority of the Government. Experience of unpaid or part time post will not be acceptable. Age Limit:- Minimum 35 years, Maximum 50 years (age relaxation as per Rules).

Uttar Pradesh AYUSH (Homoeopathy) Department 06 Posts (03- Unreserved, 02- OBC, 01- SC) of Principals - Government Homoeopathic Medical Colleges of the State, Nature of Post:- Gazetted, Reservation:-According to existing Govt. Orders, Department No.- S-11/01, Pay Scale:- Pay Matrics Level-13 (Rs. 123100-215900), Academic Qualification:- (A) Essential Qualification- Post Graduate qualification in Homoeopathy and holding a post of not less than the teaching cadre of Professor in a Degree level Homoeopathic College for atleast two years. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act. 1973. (B) Desirable Qualification- Degree/Diploma in Administrative/ Health Administration from any recognised Institution. Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate Programmed in Homoeopathy and original publication in research. Note- (1) Candidates will have to annex self attested copies of all sessions' marksheets essentially alongwith self attested copies of all other required certificates, at the time of demand of records. (2) Experience certificate should be of full time paid post in an institution recognized by Government and issued by appointing authority and it should be countersigned by Registrar/Director of State Homoeopathic Medical Council or by a competent authority of the Government. Experience of unpaid or part time post will not be acceptable. Age Limit:- Minimum 35 years, Maximum 50 years (age relaxation as per Rules). Provided further that in the case of exceptionally qualified candidates the Governor may relax the prescribed age limit in consultation with the Commission.

GENERAL INSTRUCTIONS LAST DATE FOR THE PAYMENT OF **APPLICATION FEE IN THE BANK: 02-03-2023** LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE **APPLICATIONS: 06-03-2023**

- 1. The candidate must carefully study the detailed advertisement and may apply for the post only when he/ she is eligible for the concerned post.
- 2. In no circumstance, applications shall be accepted after the last prescribed date and time. Applications found without requisite informations and without photograph and signature, even when received in time, will be summarily rejected.
- 3. The knowledge of Hindi is essential.
- 4. The date of calculation of age (except where indicated otherwise) is 1st July, 2023. The maximum agelimit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled tribe, Other backward class. Skilled players of U.P. of Classified games (for the post of Group 'B' and 'C' only) (Only domiciled persons of U.P. are entitled for such age relaxation) and State Govt. Employees of U.P. including Teachers/ Staff of the Basic Shiksha Parishad of U.P. according to G.O. No. 1648/79-5-2015, dated 19 June, 2015 and Teachers/Staff of the Government Aided Madhyamik Vidyalayas of U.P. as per G.O. No. 1508/15-8-2015-3057, dated 16 September, 2015. The upper age limit shall also be greater by 3 years + period of service rendered in army for the emergency commissioned officers/short service commission officers/commissioned officers/Ex-Army personnels of U.P. It is essential to be discharged from army upto the date of last date of receipt of application. Relaxation of 15 years in the upper age limit will be admissible to P.H. candidates.
- 5. After receipt of application in the Commission, any request for change in the qualification and category will not be entertained.
- 6. Minimum educational qualification is not sufficient for being called for interview. Mere eligibility does not entitle a candidate to be called for interview or for selection. Intimation for interview will be sent later on.
- 7. In case of large number of applicants for the post/ posts, the Commission may hold screening test, which will be communicated in due course of time. Under the conditions of holding screening test (Objective Type), penalty (Negative Marking) shall be imposed for wrong answers given by the candidates in the manner given
- (i) There are four alternatives for the answer to every

- question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answer happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.
- (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.
- 8. The original certificates are required for verification at the time of interview. Candidate will then also be required to submit his/her passport size photograph attested by head of department or head of the institution, where he/she received last education or by a Gazetted Officer.
- 9. Candidates serving under Central or State Government will have to produce "NO OBJECTION CERTIFICATE" from their employer at the time of interview.
- 10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate will be final.
- 11. The candidate coming under the reserved category, desiring benefit of the reservation, must indicate in the prescribed column of the on-line application the category/ sub category (one or more than one) whatever may be, and if they fail to do so, they will be treated like a general candidate and the benefit of reservation will not be admissible to them.
- 12. Till the last date and time of the submission of the online application, it is must to click the 'Submit Button'. The candidate must take a print out of the application duly filled in and keep it safe and secure. In the event of any discrepancy, the candidate will be required to submit the print-out to the office of the Commission otherwise the request of the candidate shall not be entertained.
- 13. With regard to claims made in the 'On-line Application', the candidate shall submit the following original certificate/ certificates in the prescribed format, when asked for by the Commission. If the certificates are not submitted in time, the candidature shall be cancelled.
- 13.1 Only Higher Secondary/High School Certificate for proof of the age shall be treated valid.
- 13.2 Proof of degree/diploma or its equivalent qualifications to confirm the prescribed essential and preferential qualifications.
- 13.3 In the case of physically handicapped candidates, the certificate issued by the competent authority in the format-1 to the Govt. Order No. 05/2022/18/1/2008/47/ka-2/2022 dated 18th April 2022.
- 13.4 In the case of the skilled players of the classified sports, a certificate issued by the competent authority will be required in terms of the Government Order No. - 22/21/ 1983-Ka-2 dated 28th November 1985.
- 13.5 Under any reserved category/categories, for the confirmation of the claim for reservation, the caste certificate issued by District Magistrate/Additional District Magistrate (Executive)/City Magistrate/SDM/Tehsildar in the prescribed format prescribed under Govt. Order No. 22/16/92-TC-III/Ka-2/2002 dated 22nd October, 2008 in respect of candidates belonging to the SC/ST/OBC, will be accepted.
- 13.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 के पत्राक 1/2019/ 4/1/2002/का-2/19 टी सी - II दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एव आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुस्चित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा।
- 13.7 Those candidates, willing to take the benefit of the reservation may obtain a certificate, issued by the competent authority, in support of the reserved category, in the prescribed format printed in this detailed advertisement and submit the same to the Commission, whenever required to do so. Those claiming more than one reserved category will be given only one such concession, which will be more beneficial. The candidates not originally domiciled in U.P. belonging to SC, ST, O.B.C., dependants of freedom fighters, handicapped and Ex-servicemen are not entitled to benefit of reservation. Such candidates will be treated in general category.
- नोटः- शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या- 18/1/99/ का-2/2006 दिनांक 09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान . ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है" को रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ६ अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (Ultra Vires) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।
- 14. The Commission do not advise to candidates about their eligibility. Therefore, they should carefully read the advertisement and apply only when satisfied about their

qualifications in terms of the advertisement.

- 15. In the category of dependants of the freedom fighters only sons, daughters, grand-sons (son's son/daughter's son) and grand daughters (son's daughter/daughter's daughter, married/ unmarried) are covered. Only such relationships with the freedom fighters are not adequate but the candidate should remain actually dependant of the freedom fighter. It is advised that now the candidates may obtain the reservation, certificate from the District Magistrate in terms of Govt. Order No. 453/79-V-1-15-1(Ka)/14-2015 dated 07-04-2015 in the prescribed format and submit the same.
- 16. In the event of involvement of a candidate in the concealment of any important information, pendency of any case/criminal case, conviction, more than a husband or wife being alive, submission of facts in a distorted manner, canvassing for selection etc. The Commission reserves the right to reject the candidature and debar from appearing in the examinations and selections.
- 17. The change of address intimation may be sent immediately to the Commission. In order to make any correspondence with the Commission, it is essential to mention the name of the post applied for, advertisement number, Deptt. No., date of birth and registration number.
- **18.** Candidates are required to hold essential qualification till the last date of receipt of On-line application.
- 19. The claim of category, subcategory, domicile, gender, date of birth, name and address will be valid only till the last date of online application. In this regard no application for error correction/modification shall be acceptable. Incomplete application form shall be summarily rejected and no correspondence shall be entertained in this regard. On submission of false/misleading information, the candidature will be cancelled.
- 20. In case the candidates feel any problem in the "On-line Application" they may get their problem resolved by sending their quarries to the 'Mail Box' of the Commission.

Appendix-1 The procedure relating to upload photo & signature.

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details:-

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

Personnel Details :-

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/ Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

OTHER DETAILS OF CANDIDATE:-

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

Education & Experience details :-

It shows your educational and experience details.

Candidate address, photo & signature details :-

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button option you can modify

ICANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION **AVAILABLE**]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in in CANDIDATE SEGMENT **CANDIDATE SEGMENT**

NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements

ONLINE FORM SUBMISSION

- 1. Candidate Registration
- 2. Fee Deposition /Reconciliation
- 3. Submit Application Form

APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status

List of Applications Having photo related Objections Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

EXAMINATION SEGMENT	नगर जिला	में सामान्यतया रहता है।	offi	ce	District		State_	
Print Address Slip for sending documents to Commission		हस्ताक्षर	wh	ose photograp	h is affix	ked above	, and an	m satisfied that:
[Only for Direct Recruitment] DOWNLOAD SEGMENT	दिनाक	पूरा नाम		he/she is a	case of			
Download Document of Verification for this Examination	मुहर	पद नाम		locomot		oility		
Download Admit Card	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधि मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ।	गरी/सिटी मिजिस्ट्रेट/परगना		dwarfisn				
Download Interview Letter: After Examination Download Interview Letter: Direct Recruitment	(प्रपत्र)	_I)	1	blindnes		. !! !- ! - \		
Download Syllabus	उत्तर प्रदेश	•	(B)	(Please tick The diagno			a ic	
Know your Registration No.	कार्यालय का नाम		(B) (A)	_				 percent
Click here to view Key Answer Sheet Latest Tenders	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के	सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने	(',')					otor disability/
LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line	,	सम्पत्ति प्रमाण–पत्र		dwarfism/b				
Application process must be completed (including filling	प्रमाण पत्र संख्या							(number be be specified).
up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last	वित्तीय वर्ष	-	2.			_		owing document
date of form submission according to Advertisement, after which the weblink will be disabled.	प्रमाणित किया जाता है कि श्री /	श्रीमती / कुमारी गाम / कस्बा		as proof of			110 1011	ownig document
Appendix-1	पोस्ट ऑफिसथाना	तहसील		Nature of		te of		Is of authority
The Procedure relating to upload Photo & Signature.	जिला राज्य	पिन कोड	'	Document	ls	sue	issuii	ng certificate
Guide Lines for Scanning Photograph with Signature 1. Paste the Photo on any white paper as per the below		फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है,						
required dimensions. Sign in the Signature Space	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदर में इनके परिवार की कुल वार्षिक अ		3.	Signature a				
provided. Ensure that the signature is within the box.	से कम है। इनके परिवार के स्वामि		(Dr	·)		r	•	(Dr)
2. Scan the below required size containing photograph and	परिसम्पत्ति			Member Medical Boar		Member		Chairperson Medical Board
signature. Please do not scan the complete page. 3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of	। 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भृ			with seal		with seal		with seal
the photo along with the signature is required to be	।।. ९५७ हजार पर्न फाटलबपा	इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा	lr	Signature/thu		with Seal		with Seal
scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on	ा।।. आधसूचित नगरपालिका इससे अधिक का आवासीय १			impression of			Counte	ersigned by the
local machine. 4. Ensure that the size of the scanned image is not more		ते इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे		person in wh			Chief N	Medical Officer
than 50 KB .	अधिक का आवासीय भूखण्ड			favour certification disability is is:			(with se	eal)
5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the		जाति के	┝	aloability to to				
settings of the scanner such as the DPI resolution, colours	सदस्य है जो अनुसूचित जाति, अनु	नूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े		,		Form-III ate of Dis	sability	
etc., during the process of scanning. 6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since	वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।	(ate of Dis multiple		
the signature is proof of identity, it must be genuine, and in		(कार्यालय का मुहर सहित)		(Name and Ad		-		•
full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL						the Certi		
LETTERS is not permitted.	का अभिप्रमाणित	/अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी				F	Recent p	passport size
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.		/परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।				I		l photograph
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and							_	face only) of
wherever necessary. If the Applicant's signature on answer	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र	0-	uficata Na		un	e persor	n with disabiliy
script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be	स्वयं घोष		Ce	rficate No.	cortify	that we h	ave car	Date: refully examined
disqualified.		नीग्राम / कस्बा	Sh					daughter of
Sample Image & Signature :-	पोस्ट ऑफिस तहसील जिला	थाना ब्लाक	Shi	ri	Da	ate of birth	ı (DD/M	M/ YY)
width= 3.5 cm ★ ►	ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है,	age	eyears,	male/ fe	emale		
Photo E	एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ।		Ho	gistration No use No)	p 	ermane 'illage/S	ent resident of Street
	1. ਸੈਂ ਹ	ाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो नुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,	Po:	st Office	Di	strict		State,
Height	उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित ३ एव अन्य पिछडा वर्ग की सूची मे	नुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सचीग्रद नहीं है।	wh	ose photograp	h is affix	ked above	, and an	n satisfied that:
		(वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि)	(A)		ase of M		sability.	His/her extent of
Ciara atrius	2. 91 91(91) 97 9201 71(1)				-!! !	!	4/-1!	11th . Land Land
Signature ↓ 5	से कुल वार्षिक आय रू	(शब्दों में) है।	per					ility has been and date of issue
<u></u>	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि	(शब्दों में) है। नखित आय के सिवाय अथवा इसके	per eva of t	aluated as per the guidelines	guidelir to be s	nes (n pecified)	umber a for the o	and date of issue disabilites ticked
<u>परिशिष्ट</u>	से कुल वार्षिक आय रू	(शब्दों में) है। मखित आय के सिवाय अथवा इसके तेत नहीं है।	per eva of t	aluated as per	guidelir to be s	nes (n pecified)	umber a for the o	and date of issue disabilites ticked sability in the
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्प अश कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तिः		per eva of t	aluated as per the guidelines ow, and is sho	guidelir to be s	nes (n pecified) nst the rel	umber a for the d evant di	and date of issue disabilites ticked sability in the
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–II)	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पं अश कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तिः आर्थिक रू	(शब्दों में) है। नखित आय के सिवाय अथवा इसके त्ते नहीं है। वा	per eva of t bel	aluated as per the guidelines ow, and is sho	guidelir to be s wn agai	nes (n pecified)	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उिल अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्प अध् कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तिः आर्थिक रू आता / आती हूँ ।		per eva of t	aluated as per the guidelines ow, and is sho	guidelir to be s wn agai	nes (n pecified) nst the rel	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उति अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्प अध् कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्ति आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / कर परिसम्पत्तियों को जोड़ने के		per eva of t bel	aluated as per the guidelines ow, and is show Disabil	guidelir to be s wn agai	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked sability in the
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्रीश्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यवित हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित)	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उिल अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्प अर्ध कई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्त्व आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / कर परिसम्पित्त्वयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है ।		per eva of t bel	aluated as per the guidelines ow, and is sho	guidelir to be s wn agai ity	nes (n pecified) nst the rel Affected part of	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारूप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्रीश्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उिल अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्प अर्ध कई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्तः आर्थिक रू आता / आती हूँ। 4. में घोषणा करता / कर परिसम्पित्तयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है। 1.5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि (s. 1. 2. 3.	aluated as per the guidelines ow, and is shown Disabiling Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है।	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उिल अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्प अई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्तः आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / करः परिसम्पित्तयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है । 1. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि (॥. एक हजार वर्ग फीट अथवा इ		per eva of t bel S. N. 1. 2. 3. 4.	aluated as per the guidelines ow, and is shown Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of t bel. S. N. 1. 2. 3. 4. 5.	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है।	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of t bell S. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तहसील	से कुल वार्षिक आय रू	(शब्दों में) है। मिखित आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा	s. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर	से कुल वार्षिक आय रू		s. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे सविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/सविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनाक पूरा नाम	से कुल वार्षिक आय रू		s. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	aluated as per the guidelines ow, and is shown and is shown and is shown and is shown are the guidelines ow, and are the guidelines ow, an	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनाक पूरा नाम मुहर परगना	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of t bell bell s. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vie Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearin	guidelir to be s wn agai ity ability trophy	nes (n pecified) nst the rel Affected part of body	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनाक पूरा नाम मुहर पद वान भोगी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of t bell bell s. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	aluated as per the guidelines ow, and is shown and is shown and is shown and is shown are the guidelines ow, and are the guidelines ow, an	guidelir to be s wn agai	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताहर पूरा नाम पुहर परगना मुहर पर नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of the belong to be local to be	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim againtrian	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनाक पूरा नाम मुहर पद वान भोगी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of the belong to be local to be	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vio Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim againtrian	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जाित) अत्रेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री / श्रीमती / कुमारी तध्या / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनाक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—I)	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of t bel	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vio Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability	guidelir to be s wn agai ity ability rophy ctim g ability g ability ability ing	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जाित) अत्रेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री / श्रीमती / कुमारी तध्या / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सपुत्री निवासी तहसील नगर	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पादिन अर्ह्म स्थानों पर स्थित परिसम्पादिन कई स्थानों पर स्थित परिसम्पादिन आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / करः परिसम्पादितयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है । 1. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि ३ ॥. एक हजार वर्ग फीट अथवा इ ॥. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । । V. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । । V. अधिसूचित नगरपालिका से अधिक का आवासीय भूखण्ड । मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अारक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता ह दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के 3 शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर ि आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप् जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँ नोट:— जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।	्राब्दों में) है। विख्त आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) वा वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) वा वा ों हूँ कि मेरे परिवार की सभी वश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी वश्चात् उससे ऊपर। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्चार उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्चार उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्चार पर विये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता। वश्चार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई व्या जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विया गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने गा/रहूँगी।	per eva of t bel	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vio Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis	guidelir to be s wn agai ity ability rophy ctim g ability g ability ability ing	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती /कुमारी सुपुत्र /सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री /श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताह्म पूरा नाम पुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी । उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र (प्रारुप—।) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के	से कुल वार्षिक आय रू		per eva of t believe	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearin Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim ability guidelir guidel	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यक्ति है जिसे सविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) / सविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री /श्रीमती / कुमारी तध्या / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यिद कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाित के व्यक्ति है। यह जाित उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जाितयों, अनुसूचित जनजाितयों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994	से कुल वार्षिक आय रू	्राब्दों में) है। विख्त आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में वा ों हूँ कि मेरे परिवार की सभी वश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी वश्चात् उससे ऊपर। अतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्च 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्च करपा / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा जाती है तो में पूर्ण रूप से जानता वाधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाते है तो में पूर्ण रूप से जानता वाधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विक्या नया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने गा / रहूँगी। अविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम। 1-II i-II i-II i-II i-II i-II i-II i-I	per eva of t believe	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim ability guidelir guidel	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आवेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रवेश) आवेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रवेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रवेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।	से कुल वार्षिक आय रू	्राब्दों में) है। विख्त आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा ां को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में तो हूँ कि मेरे परिवार की सभी वश्चात निम्निलिखित में से किसी भी वश्चात उससे ऊपर। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक दारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वर्ष 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक दारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वर्ष 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक दारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वर्ष कर से कमजोर वर्ग के लिए वर्ण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता व्यारा जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विया गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने गा / रहूँगी। अविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम। I-II E Disability mplete permanent paralysis	per eva of t bell	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vio Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions	guidelir to be s wn agai ity ability crophy ctim ability guidelir y ctim ability un blogical	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आवेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रवेश) आवेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रवेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हिनाक पूरा नाम पुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रवेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-।) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी	से कुल वार्षिक आय रू	्राल्वां मंं) है। विख्य आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा ां को जोड़ने के पश्चात भी में (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में तो हूँ कि मेरे परिवार की सभी वश्चात निम्निलिखित में से किसी भी वश्चात उससे ऊपर। अतंर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक व्यारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्च 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्चार परिवेय गय प्रमाण पत्र के हारा जाती है तो में पूर्ण रूप से जानता ह्यार पर दिये गये प्रमाण पत्र के हारा लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई व्या जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विक्या गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने गा रहेंगी। अविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।	per eva of t bel S. N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17	Disabili Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vio Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclere	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim ability sability um blogical osis	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाित के व्यवित है जिसे सिव्धान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ)/ सिवधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तध्या-अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर पूरा नाम पुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—।) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाित के व्यवित है। यह जाित उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जाितयों, अनुसूचित जनजाितयों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वीवत अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जाितयों, अनुसूचित जनजाितयों जैस जनजाितयों	से कुल वार्षिक आय रू	्राल्वां मंं) है। विख्य आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा ां को जोड़ने के पश्चात भी में (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में तो हूँ कि मेरे परिवार की सभी वश्चात निम्निलिखित में से किसी भी वश्चात उससे ऊपर। अतंर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक व्यारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्च 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्चार परिवेय गय प्रमाण पत्र के हारा जाती है तो में पूर्ण रूप से जानता ह्यार पर दिये गये प्रमाण पत्र के हारा लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई व्या जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विक्या गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने गा रहेंगी। अविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।	per eva of t bel	Disabili Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vio Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclere Parkinson's dis	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim ability sability um blogical osis	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी प्राप्त तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रवेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई हैं। श्री / श्रीमती / कुमारी तध्या / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रवेश के ग्राप्त तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रवेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की पिछड़ी जाित के व्यक्ति है। यह जाित उठप्र० लोक सेवा (अनुसूचित जाित्यों, अनुसूचित जाित्यों, अनुसूची—दो जैसा कि उठप्र० लोक सेवा जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी एवं वत अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो जैसा कि उठप्र० लोक सेवा (अनुसूचित जाित्यों, अनुसूचित जनजाित्यों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2001 जैसा कि उठप्र० लोक सेवा (अनुसूचित जाित्यों, अनुसूचित जनजाित्यों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनयम, 2001	से कुल वार्षिक आय रू	(शब्दों में) है। लिखत आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में वो हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्चात् निम्नलिखित में से किसी भी व्यवा उससे ऊपर। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे तर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विर्धक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा एप दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के विक्या गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने गा / रहूँगी। अवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम। हो Disability mplete permanent paralysis se of blindness) (Name and ority issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph	per eva of t bel	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearin Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclere Parkinson's dis Haemophilia	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim ability sability um blogical osis	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के लिये जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी प्राप्त तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की जाित के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाित) आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाित, उत्तर प्रवेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाित / अनुसूचित जनजाित के रूप में मान्यता दी गई हैं। श्री / श्रीमती / कुमारी तध्या / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रवेश के ग्राप्त तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर पूरा नाम पुहर परगना मिजस्ट्रेट / तहसीलवार / अन्य वेतन भोगी मिजस्ट्रेट / परगना मिजस्ट्रेट / तहसीलवार / अन्य वेतन भोगी मिजस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रवेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाित प्रमाण—पत्र (प्रारुप—I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की पिछड़ी जाित के व्यक्ति हैं। यह जाित उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जाितयों, अनुसूचित जातियों) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह मीणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पूर्वेतत अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—वो जैसा कि उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जाितयों, अनुसूचित जाताियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—वो जैसा कि उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जाितयों, अनुसूचित जाताियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित	से कुल वार्षिक आय रू	(शब्दों में) है। लिखत आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में वो हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्चात् निम्नलिखित में से किसी भी विया उससे ऊपर। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे तर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वर्धिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विकया गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने गा / रहूँगी। मविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम। वा-। हो Disability mplete permanent paralysis se of blindness) (Name and ority issuing the Certificate) Recent passport size	per eva of t believe	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclere Parkinson's die Haemophilia Thalassemia	guidelir to be s wn agai ity ability crophy ctim ability guidelir gui	mes (n pecified) nst the rel Affected part of body @	umber a for the d evant di Diagno	and date of issue disabilites ticked isability in the Permanent physical impairment/ mental disability
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/सविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आवेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनाक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-।) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर पछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वेवत अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—वो जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों) के लिये आरक्षण) (संशोधत की गयी है, से	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पा अह कई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्तर आर्थिक रू आर्ता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / करः परिसम्पित्तयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है । 1. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि । ॥. एक हजार वर्ग फीट अथवा इ ॥. उिधसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । । V. अधिसूचित नगरपालिका से अधिक का आवासीय भूखण्ड । मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं 3 आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता ह दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के 3 शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर नि आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँ नोट:— जो लागू नहीं हो उसे काट दें । स्थान:— आवेदक / रि Form Certificate o (In cases of amputation or co of limbs or dwarfism and in ca Address of the Medical Author	शब्दों में) है। विख्य आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है। वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में वो हूँ कि मेरे परिवार की सभी वश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी वश्चात् उससे ऊपर। अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और वश्चिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वश्च करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता वशार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता वशार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई व्या जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विक्या गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने गा/रहूँगी। प्रावेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम। Fi Disability mplete permanent paralysis se of blindness) (Name and ority issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy	Per eva of the belong of the	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearin Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclero Parkinson's dia Haemophilia Thalassemia Sickle Cell dis	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim ability sability	# # £ £	umber a for the cevant di	and date of issue disabilites ticked sability in the Permanent physical impairment/mental disability (in%)
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जुपत्र/सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे सविधान (अनुसूचित जाति) आवेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ सविधान (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश) आवेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता वी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अवया उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर प्रवार जेजना परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर प्रवार अववार अववार प्रवार के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/ तहसील नगर (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/ तिचासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोवत अधिनियम, 1994 (यथासशोधित) की अनुसूची-वे जैसा कि उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एव जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की अवधि की अवधि के अधिवियम, 1001 होरा प्रतिस्थापित किया गया है एव जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की अवधिकीय मान्य की अवधिकीय नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधिकीय हो निरंतर तीन वर्ष की अवधिकीय मान विचार तीन निरंतर तीन वर्ष की अवधिकीय मान्य निरंतर तीन	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पा अह कई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्तर्य आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / करत्य परिसम्पित्तयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है । 1. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि द्र ॥. एक हजार वर्ग फीट अथवा इ ॥. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । । ए अधिसूचित नगरपालिका से अधिक का आवासीय भूखण्ड । मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं 3 आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता ध्रि गई जानकारी असत्य / गलत पायी हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के 3 शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर ि आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँ नोट:— जो लागू नहीं हो उसे काट दे । स्थान:— आवेदक / उ Certificate o (In cases of amputation or co of limbs or dwarfism and in ca Address of the Medical Author	शब्दों में) है । लिखत आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है । वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में ले हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्रचात निम्नलिखित में से किसी भी श्यवा उससे ऊपर । अतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट । अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक ह्यारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विधिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राण करता / करती हूँ । यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्यार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जायो अथवा इस प्रमाण पत्र के द्वारा जायो अथवा इस प्रमाण पत्र के विध्या नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने ना / रहूँगी । अविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम । वानी है Disability mplete permanent paralysis se of blindness) (Name and ority issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy Date:	per eva of the belong of the	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearin Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclero Parkinson's dia Haemophilia Thalassemia Sickle Cell dis	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim ability sability sability sability sability sability sability sability sability sability trophy ability sability sability trophy ability sability trophy trophy trophy	# # £ £	umber a for the devant di	and date of issue disabilites ticked sability in the Permanent physical impairment/mental disability (in%) er all permanent
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-II) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यवित है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर सशोधित हुआ)/सविधान (अनुसूचित जाती, उत्तर प्रदेश) आवेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर/विनाक पूरा नाम मुहर पद नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-I) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यवित है। यह जाति उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा के उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचीत जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन अधिनयम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन अधिक जहीं है तथा अधिक जहीं है तथा सकल वार्षिक आय आत लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा लिये सकल वार्षिक आय आत लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पा अह कई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्तर आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / करत परिसम्पित्तयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है । 1.5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि र ।।. एक हजार वर्ग फीट अथवा इ ।।।. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । 1V. अधिसूचित नगरपालिका से अधिक का आवासीय भूखण्ड । मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अ आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता है । गई जानकारी असत्य / गलत पायी हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के अशैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर जिआधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँ नोट:— जो लागू नहीं हो उसे काट दे । स्थान:— आवेदक / उपार्थ का अवेदक / उपार्थ के अवेदक / उपार्य के अवेदक / उपार्थ के अवेदक /	शब्दों में) है । लिखत आय के सिवाय अथवा इसके ते नहीं है । वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में ले हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्रचात निम्नलिखित में से किसी भी श्रचात उससे ऊपर । अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और श्रिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शरण करता / करती हूँ । यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा एप दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्वारा पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जाते सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई स्या जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के किया गया है उससे भी वंचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने गा / रहूँगी । सविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम । हो Disability mplete permanent paralysis se of blindness) (Name and ority issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy Date: I have carefully examined	per eva of the belong of the	Disabil Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disability Autism Spectr Conditions Multiple sclere Parkinson's dia Haemophilia Thalassemia Sickle Cell dis In the light of specific scue of the	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim gability sability	# # £ £	umber a for the cevant di Diagno sis her over lines (and date of issue disabilites ticked sability in the Permanent physical impairment/mental disability (in%)
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जुपत्र/सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे सविधान (अनुसूचित जाति) आवेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ सविधान (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश) आवेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता वी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अवया उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर प्रवार जेजना परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर प्रवार अववार अववार प्रवार के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/ तहसील नगर (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/ तिचासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रवेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोवत अधिनियम, 1994 (यथासशोधित) की अनुसूची-वे जैसा कि उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एव जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की अवधि की अवधि के अधिवियम, 1001 होरा प्रतिस्थापित किया गया है एव जो उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन की अवधिकीय मान्य की अवधिकीय नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधिकीय हो निरंतर तीन वर्ष की अवधिकीय मान विचार तीन निरंतर तीन वर्ष की अवधिकीय मान्य निरंतर तीन	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पा अह कई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्तर्य आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / करत्य परिसम्पित्तर्यों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है । 1.5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि र ।।. एक हजार वर्ग फीट अथवा इ ।।।. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । 1. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । 1. अधिसूचित नगरपालिका से का आवासीय भूखण्ड । मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अ आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता ध्री गई जानकारी असत्य / गलत पायी हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के अशैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर जिआधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँ नोट:— जो लागू नहीं हो उसे काट दें । स्थान:— आवेदक / उ Certificate o (In cases of amputation or co of limbs or dwarfism and in ca Address of the Medical Authorshi/Smt./Kum	शब्दों में) है । लिखत आय के सिवाय अथवा इसके तेन नहीं है । वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में ले हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्रचात निम्नलिखित में से किसी भी श्रचात जिंदी के श्रेत्रफल का पलैट । अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक श्रवारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और शिंक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राण करता / करती हूँ । यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्यार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विकास गया है उससे भी विचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने ता / रहूँगी । अविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम । वानी है Disability mplete permanent paralysis se of blindness) (Name and writy issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy Date: I have carefully examined	per eva of the belong of the	Disabili Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclero Parkinson's dis Haemophilia Thalassemia Sickle Cell dis In the light of yeical impairm te of issue of the	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim gability sability	# # £ £	umber a for the devant di Diagno sis	er all permanentnumber and iried), isfollows:In
परिशिष्ट उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी प्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) ओदेश, 1960 (जैसा कि समय-समय पर सशोधित हुआ) / सर्विधान (अनुसूचित जाता) / अविधान (अनुसूचित जाता / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर पूरा नाम पद नाम जिल्स्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट , यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-॥) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी सुपुत्र निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा के उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित की अनुसूची-दो जैसा कि उठप्रठ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, वित्य हारा संशोधित की गयी है, से आरक्षण) (संशोधन अधिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पाता-पिता की निरतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक अगय आउ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पाता-पिता की निरतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक अग्र आउ लाल रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पाता-पिता की निरतर तीन वर्ष की अविध के लिये सकल वार्षिक अगर आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पाता-पिता की निरतर तीन की अगर सन्य पिछड़ सीमा से अधिक	से कुल वार्षिक आय रू 3. मेरे परिवार के पास उलि अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पा अह कई स्थानों पर स्थित परिसम्पित्तर्य आर्थिक रू आता / आती हूँ । 4. मैं घोषणा करता / करत्य परिसम्पित्तयों को जोड़ने के सीमा से अधिक नहीं है । 1.5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि र 11. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । 11. अधिसूचित नगरपालिका के अधिक का आवासीय भूखण्ड । 11. अधिसूचित नगरपालिका से अधिक का आवासीय भूखण्ड । 12. अधिसूचित नगरपालिका से अधिक का आवासीय भूखण्ड । 13. अधिसूचित नगरपालिका से अधिक का आवासीय भूखण्ड । 14. ममणित करता / करती हूँ कि मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अआरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता ध्री गई जानकारी असत्य / गलत पायी हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के अशैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर जिआधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँ नोट:— जो लागू नहीं हो उसे काट दे । स्थान:— आवेदक / उ Certificate o (In cases of amputation or co of limbs or dwarfism and in ca Address of the Medical Authors of the Medical Aut	शब्दों में) है । लिखत आय के सिवाय अथवा इसके तेन नहीं है । वा ों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) प से कमजोर वर्ग के दायरे में ले हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्रचात निम्नलिखित में से किसी भी श्रचात जिंदी के श्रेत्रफल का पलैट । अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक श्रवारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और शिंक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राण करता / करती हूँ । यदि मेरे द्वारा जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता ह्यार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के विकास गया है उससे भी विचित किया नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने ता / रहूँगी । अविदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम । वानी है Disability mplete permanent paralysis se of blindness) (Name and writy issuing the Certificate) Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy Date: I have carefully examined	Per eva of the belong of the	Disabili Locomotor dis Muscular Dyst Leprosy cured Dwarfism Cerebral Palsy Acid attack Vid Low Vision Blindness Deaf Hard of Hearir Speech and Language disa Intellectual Dis Specific Learn Disability Autism Spectr Disorder Mental illness Chronic Neuro Conditions Multiple sclero Parkinson's dis Haemophilia Thalassemia Sickle Cell dis In the light of special impairm te of issue of the service of issue of the service of the s	guidelir to be s wn agai ity ability trophy ctim gability sability	# # £ £	umber a for the cevant di Diagno sis her ove lines (e specific	er all permanentnumber and iried), isfollows:In

(i) n	Reassessment of dis ot necessary,	ability is:-			Signature/thumb impression of the person in whose	4. Countersigned by the Chief Medical Officer	प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथव विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड	के आधार पर दिया गया है।
	is recommended/ a				favour certificate of	(with seal)	स्थान	हस्ताक्षर नाम
	therefore this certif (MM) (YY)	icate shall	be valid	d till	disability is issued			पद
@ -	e.g. Left/right/both a	rms/legs				Signature and seal of the Medical Authority.		संस्था का नाम
	e.g. Single eye e.g. Left/Right/both	ears				ारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम		मुहर
4. T	4. The applicant has submitted the following document as			ing document as		नूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, नुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के	नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्याल खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से वि	४ के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज केये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य
Ι'—	of of residence:-	- 1 -			प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।	नुसार स्वतंत्रता सम्राम समामा क आक्षित क	होगा।	THE COURT OF THE COURT
	ature of Date of Document Issue			of authority certificate		प्रमाण–पत्र	प्रारूप	
			<u> </u>			है कि श्री /श्रीमती निवासी जिला– उत्तर प्रदेश लोक	(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में ३ खेल-कूद में भाग लेने	
5. S	ignature and seal o	f the Medi	cal Auth	nority.	सेवा (शारीरिक रूप से विक	लाग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों	डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्र	क्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर
			ļ		स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है	ाये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार और श्री /श्रीमती /क्मारी (आश्रित)	प्रदेश राज्य स्त के लिए कुशल खिलाड़ि	
III	me and Seal Nam of Member of	e and Sea Member		me and Seal e Chairperson	पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पु	त्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री 1 अथवा अविवाहित) उपराकित अधिनियम,	प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्री	मती / कुमारी
				ntersigned by the	1993 (यथासंशोधित) के	प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री /श्रीमती	आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री (पूरा पता)में	निवासी स्कल में कक्षा
	ignature/thumb			f Medical Officer	(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) स्थानः	के आश्रित है। हस्ताक्षर	के विद्यार्थी ने दिनाक	से दिनांक तक
pe	erson in whose			(with seal)	दिनाक	पूरा नाम	(स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा / खेल–कूद का ना	म) प्रतियोगिता / टर्नामेन्ट में
Tav	our certificate of					पदनाम	स्कूल की ओर से भाग	लिया। उनके टीमें के द्वारा उक्त
		Form-IV			1	मुहरजिलाधिकारी	प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ	
(In	cases of other than	ficate of Di those men	-	n Forms II and III)		ाजलाधिकारा (सील)	उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया	गया है।
	(Name and Address	of the Me	edical A			, ,	स्थान	हस्ताक्षर
	issuir	ng the Cer □		<u> </u>		ो प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं या—22/21/1983—कार्मिक—2	दिनाक	नाम पद
				t passport size ed photograph	दिनांव	क 28 नवम्बर, 1985		पदसंस्था का नाम
				ng face only) of	प्रमाण—ग	पत्र के फार्म – 1 से 4		ਸੂ ह र
		_1	the pers	on with disabiliy	 (मान्यता प्राप्त क्रीडा / खे	प्रारूप –1 ल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय	नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेश	क / या अतिरिक्त / संयुक्त या
Cer	ficate No.			Date:	प्रतियोगिता में भ	।।ग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)	उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर हो	२ इन्सट्रक्शन्स / ।शक्षा ाने पर मान्य होगा।
Shr	This is to certify	that we	have ca	arefully examined	सम्बन्धित खेल की राष्ट्र नाम राज्य	ोय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का सरकार की सेवाओं/पदों पर नियक्ति के		ਜ਼ਿਵ
Shri	i[Date of bir	th (DD/ľ	MM/ YY)	लिए कुशल खिलाडियों के वि	सरकार की सेवाओं /पदो पर नियुक्ति के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि आत्मज /पत्नी /आत्मजा श्री		सचिव
age	years, male/	emale	nanont	 resident of House	। श्रा / श्रामता / कुमारा निवासी	पूरा पता ने दिनांक		
No.	War	d/Village	/ Stree	etPost	से दिनांक तक	पूरा पता ने दिनांक (स्थान का नाम) में आयोजित –कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट		
nho	tograph is affixed at	ove and	am catio	fied that he/she is	मि देश की ओर से भाग लिय	T		
a c	ase of	Disa	bility. F	His/her extent of	उनके टीम के द्वारा उक्त	प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में		
eval	centage physical luated as per guide	ines (ı	number	and date of issue	यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेड	डरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था		
of th	ne guidelines to be s vant disability in the	specified)	and is s	shown against the	का नाम दिया जाये) है।	में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया		
	,			Permanent	स्थान	हस्ताक्षर		
S.		Affected part of	Diagno	physical	दिनाक	नाम		
N.	Disability	body	sis	mental disability		पद संस्था का नाम		
	La caractera di cabilità			(in%)		ਸੂਵर		
	Locomotor disability Muscular Dystrophy	@				ल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।		
\blacksquare	Leprosy cured				वारा ज्यावरागरा राज राजिय	प्रारूप — 2		
\blacksquare	Cerebral Palsy					बेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय		
	Acid attack Victim Low Vision	#			प्रातयागिता में म सम्बन्धित खेल की प्रदेशीः	ाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) य एसोसिएशन का नामराज्य		
I ₩	Deaf	£			सरकार की सेवाओं /पदों । लिए प्रमाण-पत्र	पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के		
\blacksquare	Hard of Hearing	£				श्री /श्रीमती / कुमारी आत्मज /		
	Speech and Language disability				पत्नी / आत्मजा श्री	श्री /श्रीमती /कुमारी		
	Intellectual Disability				(क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम	दिनां क तक में () की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम)		
11 1 1 1 1 1 1	Specific Learning				आयोजित राष्ट्री	यमें (क्रीड़ा / खेल-कूद का नाम) में प्रदेश की ओर से भाग लिया।		
\blacksquare	Disability Autism Spectrum				उनके टीम के द्वारा उक्त	प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में		
	Disorder				स्थान प्राप्त किया गया।	()		
1 1	Mental illness Chronic Neurological				यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध रिकार्ड के आधार प	(प्रदेशीय संघ का नाम) में Iर दिया गया है।		
1 1 2 2 2 1	Conditions				स्थान			
\blacksquare	Multiple sclerosis				दिनांक	नाम पद		
	Parkinson's disease Haemophilia					संस्था का नाम		
18.	Thalassemia					मुहर		
I -	Sickle Cell disease				नोट : यह प्रमाण-पत्र प्र	ग्देशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।		
	(Please strike out the disabilities which is not applicable) 2. The above condition is progressive/non-progressive/				ज्यापताचात रूप साक्य गय	हस्ताक्षार हान पर हा मान्य हागा। प्रारूप – 3	-	
likel	likely to improve/not likely to improve.				(मान्यता प्राप्त क्रीडा/र	बेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से		
] 3. R	Reassessment of disability is:- (i) not necessary, or				अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोर्गि	गेता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)		
	(ii) is recomme	nded/afte			विश्वविद्यालय का नाम पर नियक्ति के लिए व	राज्य स्तर की सेवाओं / पदों कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र		
	months, and valid till			ertificate shall be D) (MM) (YY)	प्रमाणित किया जाता है	कि श्री / श्रीमती / कुमारी		
	@ - e.g. Left/rig	ght/both ar	ms/legs	, , , , ,	आत्मज / पत्नी / आत्मजा १	थ्री निवास (पूरा नाम) ालय की कक्षा के विद्यार्थी		
	# - e.g. Single eye/both eyes£ - e.g. Left/Right/both ears				ने दिनाक रं	ने दिनांक तक		
					(स्थान का नाम) में आयो (क्रीडा / खेल–कूद का नाम	गाजत अन्तावेश्वावेद्यालय म) प्रतियोगिता / टर्नामेन्ट में		
	ame and Seal Nan			ame and Seal	विश्वविद्यालय की ओर से	म) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त		
	of Member of	Member	OT th	ne Chairperson	प्रातयागता ∕ टूनामेन्ट में	सीीन प्राप्त किया गया। यह		